

<><><><><><><>

- अंडमान निकोबार द्वीपसमूह की एकमात्र लोकसभा सीट के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए नाम वापस लेने की कल अंतिम तिथि है।
- आगामी लोक सभा चुनाव के मद्देनजर मतदाताओं को जागरूक करने के लिए स्वीप गतिविधियां आयोजित की जा रही है।
- मध्योत्तर अंडमान ज़िले में महिला मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कल रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।
- दूरसंचार विभाग ने नागरिकों के लिए एक दिशानिर्देश जारी की है।

<><><><><><><>

अंडमान निकोबार द्वीपसमूह की एकमात्र लोकसभा सीट के लिए पहले चरण के तहत उन्नीस अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए नाम वापस लेने की कल अंतिम तिथि है। नामांकन पत्रों की जांच के बाद कुल तेरह उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। कल नाम वापसी के बाद द्वीपों की एकमात्र लोकसभा सीट के लिए कितने उम्मीदवार चुनावी मैदान में रह जाएंगे इसका फैसला हो जाएगा। इस बीच राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा चुनाव प्रचार अभियान किया जा रहा है, हालांकि पोर्ट ब्लेयर और दक्षिण अंडमान के कुछ भागों में चुनाव प्रचार अभियान का कोई खास असर नहीं दिख रहा है, लेकिन उम्मीदवारों द्वारा द्वीपों के अन्य क्षेत्रों में जाकर प्रचार अभियान किया जा रहा है। घर-घर सम्पर्क अभियान के साथ नुक्कड़ सभाएं भी आयोजित की जा रही हैं। उधर, स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए स्थानीय निर्वाचन कार्यालय भी पूरी तरह तैयार है और विभिन्न माध्यमों के जरिए चुनाव प्रक्रिया की जानकारी साझा की जा रही है।

<><><><><><><>

आगामी लोक सभा चुनाव के मद्देनजर मतदाताओं को जागरूक करने के लिए स्वीप गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। अनिम्स के व्याख्यान हॉल में स्वीप टीम की ओर से इसी तरह का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर स्वीप के नोडल अधिकारी वैरोकपम पुन्शिबा सिंह ने बताया कि स्वीप मतदाता शिक्षा की चुनाव आयोग की महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है और इसके माध्यम से मतदाताओं को जागरूक करने और उन्हें मतदान से जुड़ने की प्रक्रिया में शामिल करने के लिए चलाया जा रहा अभियान है। इसके माध्यम से मतदाताओं को न सिर्फ जागरूक किया जाता है बल्कि मतदान के लिए उनकी ज्यादा से ज्यादा भागीदारी का भी प्रयास किया जाता है उन्होंने सभी प्रात्र मतदाताओं से मतदान प्रक्रिया में शामिल होने और अपने मताधिकार का प्रयोग करने को कहा। अमर कुमार सिंह ने पावर प्वाइंट प्रस्तुति के माध्यम से सी विज़िल, एम.सी.सी, पहली बार मतदान करने वाले, मतदाता वोट हेल्प लाइन एप के इस्तेमाल के बारे में जानकारी दी।

<><><><><><><>

कार निकोबार पुलिस थाने की ओर से हाल ही में तमालू गांव के विभिन्न क्षेत्रों में विशेष आबकारी छापा अभियान चलाया गया। छापे के दौरान अवैध शराब बनाने के काम आने वाले करीब ग्यारह सौ लीटर लहान को नष्ट किया गया। इसके अलावा इसी गांव के पैट्रिक नामक एक व्यक्ति के घर से तीन लीटर अवैध शराब भी बरामद की गई। इस बीच, निकोबार ज़िला पुलिस द्वारा गुम हुए सात मोबाइल हैंडसेट भी बरामद की गई हैं और इसे उनके मालिकों को दिया गया है। कार निकोबार और कैम्पबेल बे पुलिस थाने की टीम द्वारा गुम हुए इन मोबाइल फोन की बरामदगी की गई। ज़िला पुलिस ने आम जनता से कहा है कि वे मोबाइल फोन गुम होने या चोरी होने की घटना की शिकायत अपनी नजदीकी पुलिस थाने में करे या सी.ई.आई.आर पोर्टल सेवा का इस्तेमाल करे।

उधर, पुलिस टीम द्वारा आज जोड़ाकिलान में छापेमारी के दौरान एम. मुर्गईय्या नामक एक व्यक्ति के पास से देशी शराब की इक्यावन बोतलें और विदेशी शराब जब्त की गई। इस व्यक्ति को मौके पर ही गिरफ्तार कर इसके खिलाफ सी.सी. एस थाने में मामला दर्ज किया गया। आगे की कार्रवाई जारी है।

<><><><><><><>

द्वीपसमूह में उन्नीस अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने और उनमें जागरूकता उत्पन्न करने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मध्योत्तर अंडमान जिले में महिला मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कल रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मायाबन्दर के जिला परिषद हॉल में आयोजित इस प्रतियोगिता का उद्घाटन जिला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त दिलखुश मीणा ने किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि इस प्रतियोगिता को आयोजित करने का उद्देश्य महिला मतदाताओं को मतदान प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। उन्होंने उम्मीद जताई कि उन्नीस अप्रैल को होने वाले मतदान के दिन जिले में महिला मतदाता अन्य मतदाताओं के साथ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगी और चुनाव का पर्व देश का गर्व दो हजार चौबीस को सफल बनाएंगी। उन्होंने महिला मतदाताओं से अनुरोध किया कि वे मतदान के महत्व को समझे और पूरे विश्वास के साथ मतदान करें। उन्होंने महिलाओं से अनुरोध किया कि वे अपने परिवार के सदस्यों, दोस्तों, रिश्तेदारों और उनके समुदाय के लोगों को मतदान करने के लिए अवश्य प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि यदि किसी को मतदाता सूची और मतदान केन्द्रों से संबंधित कोई भी शंका हो तो वे अपने मतदान केन्द्र के बूथ स्तर के अधिकारी, चुनाव नियंत्रण कक्ष या जिला चुनाव नियंत्रण कक्ष में दिए गए फोन नम्बर पर सम्पर्क कर अपनी शंकाएं दूर कर सकते हैं।

<><><><><><>

इस बीच, कल दिन में दो बजे पोर्ट ब्लेयर के मरीना पार्क में रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। सभी पंजीकृत टीमों से इसमें भाग लेने को कहा गया है। विजेताओं को प्रमाण पत्र भी दिए जाएंगे।

इस बीच रंगत में महिला मैराथन का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न सरकारी विभागों, स्वयं सहायता समूह, आगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और ग्रामवासियों ने भाग लिया। मध्य अंडमान के सहायक आयुक्त ने मैराथन के महत्व पर प्रकाश डाला और झंडी दिखाकर इसे रवाना किया। डेढ़ किलोमीटर लम्बी इस मैराथन का उद्देश्य रंगत तहसील के मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक करना था।

<><><><><><>

दूरसंचार विभाग ने नागरिकों के लिए एक दिशानिर्देश जारी किया है कि लोगों को ऐसे कॉल आ रहे हैं जिनमें दूरसंचार विभाग के नाम पर कॉल करने वाले धमकी दे रहे हैं कि उनके सभी मोबाईल नंबर बंद कर दिए जाएंगे या उनके मोबाईल नंबरों का किसी अवैध गतिविधियों में दुरुपयोग किया जा रहा है। दूरसंचार विभाग ने विदेशी मूल के मोबाईल नंबरों से ठगने वाले वॉट्सऐप कॉल के बारे में भी लोगों को अवगत कराया है। विभाग ने एक बयान में कहा है कि साईबर अपराधी ऐसी कॉल के जरिए साईबर अपराध या वित्तीय धोखाधड़ी को अंजाम देने के लिए व्यक्तिगत जानकारी चुराने की कोशिश करते हैं। दूरसंचार विभाग ने बताया है कि उसके द्वारा ऐसी कॉल नहीं की जाती है और इससे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है और ऐसी कॉल आने पर कोई भी जानकारी साझा नहीं करने को कहा गया है। दूरसंचार विभाग ने नागरिकों को संचार साथी पोर्टल www.sancharsaathi.gov.in के पोर्टल पर किसी भी ऐसी धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने की सलाह दी है। इसके अलावा दूरसंचार विभाग ने साईबर अपराध या वित्तीय धोखाधड़ी के शिकार होने की स्थिति में साईबर अपराध हैल्पलाइन नंबर एक नौ तीन शून्य या www.cibercrime.gov.in पर रिपोर्ट करने की सलाह दी है।

<><><><><><>

मरीन हिल स्थित सात सपूत पार्क में कल श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कल ही के दिन उन्नीस सौ तैंतालीस को दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सात सरकारी कर्मचारियों की इसी स्थल पर निर्मम हत्या कर दी गई थी।

<><><><><><>

अंडमान निकोबार द्वीपसमूह के जल क्षेत्र में पन्द्रह अप्रैल से इक्कतीस मई तक बॉटम ट्रॉलिंग गियर का इस्तेमाल करने वाले मत्स्य जलयानों तथा शार्क मत्स्यहरण के लिए जल निर्धारित तिथि में मत्स्यहरण की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसे सभी संबंधित मछुआरों से घोषित सत्र के दौरान इसके उपयोग की मनाही की गई है।

<><><><><><>